

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
श्रीमती जानकी v/s भारत संघ वगैरे - मप्रॉपसं०- 18/2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

18/8/22

वकूलाय उप०। राजपैरोकार ने मप्रॉपसिऑन की ओर से
जवाब पेश किया, जिसकी तदन वकील प्रार्थी को दिवशि
गरी जवाब शा०मि० हो। राजपैरोकार ने प्रकरण में कुछ
हस्तावेध पेश करना चाहते हैं। राजपैरोकार को हस्तावेध
पेश करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक
18/8/22 को पेश हो।

कलक्टर, नागौर

18/8/22

वकूलाय ने Ad 31 रामधन विरनोई का निधव हो
जाने से न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने का
निर्णय लिखा है। P.O लाहब प्रशासनिक कार्य में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14.9.22 को पेश हो।

14/9/22

वकूलाय उप०। P.O लाहब प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 21.9.22 को पेश हो।

21/9/22

वकूलाय उपस्थित। राजपैरोकार ने भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र
संख्या-162/2017 श्रीमती जानकी बनाम भारत संघ वगैरे में न्यायालय हाजा द्वारा
पारित निर्णय दिनांक 21.05.2022 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शा०मि० हो
वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, का कथन करते हुए
नोट प्रेस किया है। अतः वकील प्रार्थी के कथन कि वह प्रकरण को आगे चलाना
नहीं चाहते हैं एवं वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस किये जाने के आधार पर प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया
पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पीयूष समारिया)

मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर

18/8/22
14/9/22